14/2015
पांचूदेवी बनाम सरकार वगैरह

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व डिक्री अपील संख्याः 14/2015

अपीलांट

पांचूदेवी पत्नी हनुमानाराम, जाति विश्नोई निवासी–सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सांचोर
2. हेमाराम पुत्र गोरखाजी, जाति विश्नोई निवासी बी.ढाणी सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय डिक्री दिनांक 22.1.1990 वाद संख्या 46/1980 अनवान हेमाराम बनाम सरकार जो सहायक कलेक्टर सांचोर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितः–

श्री दिनेश विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

14/2015
पांचूदेवी बनाम सरकार वगैरह

श्री जगदीश गोदारा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02
की ओर से

उपस्थितः–

श्री दिनेश विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से

श्री जगदीश गोदारा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02
की ओर से

निर्णय

दिनांक

1. अपीलार्थीनी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर सांचोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/1980 हेमाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.1.1990 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं0 2 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत ग्राम सांचोर तहसील सांचोर के खसरा नं0 291 में से रकबा 3.15 बीघा की खातेदारी घोषणा का वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी सं0 2 का संवत 2009 के पहले से व बाद से लगातार कब्जा काश्त चला आ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रहा है तथा वह बिगोडी भरता है गिरदावरी वादी के नाम है तथा लगातार कब्जा काश्त होने के कारण भूमि का खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है। साथ ही धारा 80 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र नियमानुसार प्रस्तुत किया।

3. यह है कि नायब तहसीलदार द्वारा वाद का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा लिखा गया कि विवादग्रस्त भूमि गोचर मे दर्ज है तथा वादी का कब्जा 2009 मे होता तो उसे खातदेारी मिल जाती। दावा गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है इसलिए खारिज किये जाने योग्य है।

4. यह है कि प्रत्यर्थी सं0 2 वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व गवाहों के बयान के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.8.1981 को उक्त भूमि पर गैर खातेदार घोषित करते हुए संवत 2015 से लगान वसूली के आदेश जारी करते हुए वादी के हक में डिक्री जारी करने के आदेश दिये गये। निर्णय दिनांक 12.8.1981 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर को प्रस्तुत की गई। जो अपील स्वीकार की गई तथा मामले को रिमाण्ड कर पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश अपने निर्णय दिनांक 4.6.82 को दिये गये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

5. कि निर्णय दिनांक 4–6–82 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की गई जो म्याद बाहर होने के आधार पर खारिज कर दी गई। पत्रावली पुनः सहायक कलेक्टर, सांचोर के समक्ष सुनवाई हेतु प्राप्त की गई तब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया गया तथा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.1.1990 के द्वारा प्रत्यर्थी सं0 2/वादी का वाद खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अनुमति के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी व म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अदालत हाजा में पेश की है।

6. वकील उभयपक्षो की बहस सुनी गई विद्धान अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा साथ ही मौखिक बहस भी करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का संवत 2009 से पूर्व से ही कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा तत्पश्चात लगातार कब्जा काश्त वादी का ही चला आ रहा है। जिसके संबंध में खसरा परिवर्तनशील संवत 2035 की नकल, तहसीलदार के निर्णय दिनांक 1.6.68 की नकल, रसीद जमा रकम बी0ढाणी सांचोर की रसीद नं0 110 दिनांक 3.5.1954,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रसीद नं0 132 दिनांक 3.6.1955 व रसीद सं0 168 दिनांक 4.5.1956 प्रस्तुत की है तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं हेमाराम, गवाह धीमा, मंगला, फौजा, चतरा, चैना, रमजान खॉ के बयान करवाये गये है। जिससे साक्ष्य के आधार पर साबित होता है कि भूमि वादी के खातेदारी काश्तकारी की भूमि है तथा वह उपरोक्त भूमि में खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है। मगर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज किया गया है जो गलत रूप से निस्तारित किया गया है। प्रत्यर्थी सं0 2/वादी द्वारा उपरोक्त भूमि मे से 0.37 हैक्टर भूमि का बेचान दिनांक 20.2.2008 को अपीलार्थीनी को कर दिया गया था जिस पर नियमानुसार अपीलार्थीनी के पक्ष मे नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया तथा पुराने खसरा नं0 291 की जगह नये खसरा नं0 3699/1286 रकबा 0.37 हैक्टर के रूप में दर्ज की गई। अपीलार्थीनी द्वारा भूमि खरीद की जाने पर तथा खातेदार के रूप मे राजस्व रेकर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज होने के कारण अपीलार्थीनी हितबद्ध पक्षकार है तथा आलोच्य निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिणी है तथा जब अपीलार्थीनी का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया गया तब अपीलार्थीनी को प्रथम बार दिनांक 4–5–2015 को आलोच्य निर्णय की जानकारी हुई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जिसकी नकले दिनांक 28–5–2015 को प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत की गई है जो अपील जानकारी से अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थीनी को खरीद की गई भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

7. जवाब में प्रत्यर्थी सं0 1 के विद्धान अधिवक्ता ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि गोचर भूमि है तथा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं0 2 को विवादित भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। उनका संवत 2009 से पहले का कब्जा नही है न ही कोई राजस्व रेकर्ड इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिससे इनकी खातदोरी साबित होती हो। अपीलार्थीनी हितबद्ध पक्षकार नहीं है तथा अपील म्याद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. प्रत्यर्थी सं0 2 के अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया गया कि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार आदेश 41 नियम 33 सीपीसी के प्रावधानों के तहत बिना अपील के प्रस्तुत किये ही वह आलोच्य निर्णय को चुनोती दे सकता है। आलोच्य निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से पारित किया गया है प्रत्यर्थी सं0 2 विवादित भूमि पर खातेदारी घोषणा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अनुसार मूल खसरा सं0 291 में से 3.15 बीघा भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है चूंकि भूमि का बेचान किया जा चुका है इसलिए अपीलार्थीनी को खसरा सं0 3699/1286 रकबा 0.37 हैक्टर व शेष बची भूमि का नया खसरा सं0 1286 रकबा 0.23 हैक्टर का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9. विद्धान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। दावा व जवाबदावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात विरचित की गई थी। उपरोक्त मामले में वादग्रस्त आराजी मूल खसरा सं0 291 मे से रकबा 3.15 बीघा के खातेदारी घोषणा की मांग की है जिसके नये खसरा नं0 3699/1286 रकबा 0.37 हैक्टर व शेष बची भूमि का नया खसरा सं0 1286 रकबा 0.23 हैक्टर की घोषणा की मांग है। वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खसरा परिवर्तनशील संवत 2035 की नकल, तहसीलदार के निर्णय दिनांक 1.6.68 की नकल, रसीद जमा रकम बी0ढाणी सांचोर की रसीद नं0 110 दिनांक 3.5.1954, रसीद नं0 132 दिनांक 3.6. 1955 व रसीद सं0 168 दिनांक 4.5.1956 प्रस्तुत की है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

14/2015
पांचूदेवी बनाम सरकार वगैरह

पी0डब्ल्यू–1 के रूप में वादी/प्रत्यर्थी सं0 2 स्वयं उपस्थित हुआ है जिसने अपने बयान में कथन किया है कि विवादित भूमि पर वह संवत 2009 के पूर्व से तथा उसके बाद से लगातार काबिज है। बिगोडी भरता आ रहा है, जिसके संबंध में दस्तावेजात प्रस्तुत किये है गलती से भूमि गोचर के रूप मे दर्ज कर दी गई है तथा भूमि का कभी भी उपयोग गोचर के रूप मे नहीं किया गया है। लगान भी वादी द्वारा अदा किया गया है तथा जागिर के वक्त ठिकाना सांचोर को संवत 2010 से 2012 तक की बिगोडी भी भरी गई है। जो प्रदर्श–4 से 6 है तथा वादी को उपरोक्त भूमि से कभी बेदखल नहीं किया गया है उसका लगातार कब्जा काश्त है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पी0.डब्ल्यू–2 धीमा द्वारा अपने बयानों में बताया गया है कि वह वादी को जानता है तथा उसने खसरा नं0 291 रकबा 3.15 बीघा पर वक्त पेमाईश से पहले व बाद से लगातार कब्जा देखा है तथा उस पर वादी ही काश्त कर रहा है। भूमि के आस पडौस भी उसके द्वारा सही बताये गये है उसे कभी बेदखल नहीं किया गया है तथा मौके पर बाजरी की काश्त है।

पी0डब्ल्यू–3 मंगलाराम द्वारा भी अपने बयानों में बताया गया है कि वह वादी को जानता है तथा उसने खसरा नं0 291

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रकबा 3.15 बीघा पर वक्त पेमाईश से पहले व बाद से लगातार कब्जा देखा है तथा उस पर वादी ही काश्त कर रहा है। भूमि के आस पडौस भी उसके द्वारा सही बताये गये है उसे कभी बेदखल नहीं किया गया है तथा मौके पर बाजरी की काश्त है।

पी0डब्ल्यू–4 कोजा द्वारा भी अपने बयानों में बताया गया है कि वह वादी को जानता है तथा उसने खसरा नं0 291 रकबा 3.15 बीघा पर वक्त पेमाईश से पहले व बाद से लगातार कब्जा देखा है तथा उस पर वादी ही काश्त कर रहा है। भूमि के आस पडौस भी उसके द्वारा सही बताये गये है उसे कभी बेदखल नहीं किया गया है तथा मौके पर बाजरी की काश्त है।

पी0डब्ल्यू–5 चतरा द्वारा भी अपने बयानों में बताया गया है कि वह वादी को जानता है तथा उसने खसरा नं0 291 रकबा 3.15 बीघा पर वक्त पेमाईश से पहले व बाद से लगातार कब्जा देखा है तथा उस पर वादी ही काश्त कर रहा है। भूमि के आस पडौस भी उसके द्वारा सही बताये गये है उसे कभी बेदखल नहीं किया गया है तथा मौके पर बाजरी की काश्त है।

पी0डब्ल्यू–6 चैनाराम द्वारा भी अपने बयानों में बताया गया है कि वह वादी को जानता है तथा उसने खसरा नं0 291 रकबा 3.15 बीघा पर वक्त पेमाईश से पहले व बाद से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

लगातार कब्जा देखा है तथा उस पर वादी ही काश्त कर रहा है। भूमि के आस पडौस भी उसके द्वारा सही बताये गये है उसे कभी बेदखल नहीं किया गया है तथा मौके पर बाजरी की काश्त है।

पी0डब्ल्यू–7 रमजान खॉ द्वारा भी अपने बयानों में बताया गया है कि वह वादी को जानता है तथा उसने खसरा नं0 291 रकबा 3.15 बीघा पर वक्त पेमाईश से पहले व बाद से लगातार कब्जा देखा है तथा उस पर वादी ही काश्त कर रहा है। भूमि के आस पडौस भी उसके द्वारा सही बताये गये है उसे कभी बेदखल नहीं किया गया है तथा मौके पर बाजरी की काश्त है।

10.प्रतिवादी/प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से भी साक्ष्य प्रस्तुत की गई जिसमें डी0डब्ल्यू–1 हणवन्ताराम ओ0के0 साक्षी के तौर पर उपस्थित हुआ तथा उसने अपने बयानों में कथन किया कि मिसल बन्दोबस्त के अनुसार भूमि गोचर के रूप में दर्ज है। खसरा नं0 291 का रकबा 689.10 बीघा है तथा अपनी क्रोस में बताया कि खसरा नं0 291 में इन्द्रा व सुभाष कॉलोनी बनी हुई है तथा खसरा नं0 291 में 150 वर्गगज के हिसाब से 256

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

व्यक्तियो को पट्टे दिनांक 30–12–1974 को तहसीलदार द्वारा दिये जा चुके है।

डी0डब्ल्यू–2 भजनलाल पटवारी साक्षी के तौर पर उपस्थित हुआ तथा उसने अपने बयानों में कथन किया कि भूमि गोचर की भूमि है तथा मौके पर वादी का कब्जा काश्त नही है। अपनी कोस मे बताया कि कुछ जमीन इसी खसरे की इन्द्रा कॉलोनी को दी हुई है। मौके पर कई लोगों का कब्जा काश्त है। भूमि मे से रोड निकल चुकी है। मौजूदा गौचर 291/23 है जिसका रकबा 108.10 बीघा है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में तनकी अनुसार निर्णय नही किया गया है। तनकी सं0 1 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार से कायम की गई थी

कि आया खेत खसरा नं0 291 रकबा 3.15 बीघा सरहद साचोर में वादी का कब्जा एवं काश्त कदीमी होने पर घोषित गोचर भूमि में खातेदारी पाने का मुश्तहक हैं जिसका भार वादी पर रखा गया था। वादी द्वारा अपनी दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार खसरा परिवर्तनशील प्रस्तुत की गई है साथ ही लगान रसीदे जो दिनांक 3.5.1954, 3.6.1955 व 4.5.1956 की प्रस्तुत हुई है जो दस्तावेज प्रदर्शित है। जिनको पढने पर यह साबित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

होता है कि वादी का मौके पर कब्जा संवत 2009 से पहले से तथा बाद से लगातार चला आ रहा है। प्रतिवादी/प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा अपने साक्ष्य में कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया है तथा न ही प्रदर्शित करवाया गया है। साथ ही प्रतिवादी सं0 1 स्वयं साक्षी के रूप में उपस्थित नही हुआ है। इस तरह से वादी द्वारा तनकी सं0 1 को अपने पक्ष मे साबित किया है।

जबकि प्रत्यर्थी सं0 1 स्वयं साक्षी के रूप मे उपस्थित नही होने पर अन्य गवाहान के बयान साक्ष्य के रूप मे पढे नही जा सकते है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कानूनी बिन्दूओं को दरकिनार करते हुए आलोच्य निर्णय पारित किया है प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा भूमि के गोचर होने के संबधं मे भी दस्तावेज प्रदर्शित नही करवाये है तथा जो गवाह प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए है उन्होने अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है कि मौके पर वादी का कब्जा काश्त है तथा उसके विरूद्ध कार्यवाही की गई थी लेकिन उसको बेदखल करने के संबधं में कोई भी दसतवेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वादी का विवादित भूमि पर लगातार खातेदार के रूप में कब्जा काश्त है। इससे तनकी सं0 1 वादी के पक्ष मे साबित होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

14/2015
पांचूदेवी बनाम सरकार वगैरह

कि अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि मे से 0.37 हैक्टर भूमि जरिये पंजीबद्ध बैचाननामा के खरीद की गई है जिससे पंजीबद्ध बैचाननामा के आधार पर अपीलार्थीनी का नाम जमाबन्दी मे खातेदार काश्तकार के रूप मे दर्ज हुआ है। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने अपनी खरीदषुदा आराजी 0.37 हैक्टेर को आबादी मे परिवर्तित करवाने व उक्त जमीन नगरपालिका क्षेत्र में आने से रूपान्तरण हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया तथा नगरपालिका सांचौर ने तहसीलदार सांचौर से सहमति हेतु लिखा जिस पर तसहसीलदार साौर ने राजस्व रेकर्ड की जांच कर धारा 90 ए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत सहमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त पटवारी सांचौर ने तहसीलदार सांचौर को वादग्रस्त आराजी के संबध में दिनांक 28.02.2014 को जांच रिपोर्ट भिजवाई गई, जिसके बिन्दु संख्या 19 में "आवेदित भूमि धारा 16 के अन्तर्गत वर्णित भूमियो में से नहीं आती है" का अंकन है। पटवारी सांचौर द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में यह स्पष्ट रिपोर्ट तहसीलदार सांचौर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी धारा 16 के अन्तर्गत वर्णित भूमियो में से नहीं आने का अंकन है, उक्त जांच रिपोर्ट अपने–आप में एक प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य है, जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

14/2015
पांचूदेवी बनाम सरकार वगैरह

यह साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी संवहन से गै.मु. गोचर दर्ज हो गई है, क्यो कि अगर वादग्रस्त आराजी गै.मु. गौचर होती तो हल्का पटवारी द्वारा उक्त रिपोर्ट तहसीलदार सांचौर को नहीं भिजवाई जाती। इसके अतिरिक्त अपीलाट का नाम बिना किसी आधार के राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है तथा नाम हटाये जाने के कारण किसी भी निर्णय के विरूद्ध वह अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिणी है तथा भूमि के संबधं में हितबद्ध पक्षकार है। इसलिए अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी पीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उसे हितबद्ध पक्षकार मानते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। कि अपीलार्थीनी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो जाने के पश्चात बिना नोटिस दिये ही नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया गया है जिस पर अपीलार्थीनी द्वारा आलोच्य निर्णय की जानकारी दिनांक 4–5–2015 को होने पर नकल दिनांक 18–5–2015 को प्राप्त की गई तथा अपील दिनांक 1.6.2015 को प्रस्तुत की गई। जो जानकारी से अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा लिखित खण्डन नही होने के कारण अपीलार्थीनी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की अपील जानकारी से अन्दर शुमार की जाती है तथा अपीलार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

तनकी सं0.2 दादरसी की बनाई गई है। चूंकि वादी द्वारा तनकी सं0 1 को अपने पक्ष में साबित किया गया है जिसके अनुसार वादी द्वारा खसरा सं0 291 मे से 3.15 बीघा भूमि पर अपना कब्जा काश्त व खातेदारी संवत 2009 से पहले व बाद लगातार साबित की है। अपीलार्थीनी द्वारा वादी से भूमि खरीद की जाने के कारण वह भी पंजीबद्ध बैचाननामा के आधार पर अपने हिस्से की खातेदार काश्तकार हो गई है इस प्रकार खसरा सं0 291 रकबा 3.15 बीघा जो वर्तमान में सांचोर तहसील सांचोर के खसरा नं0 3699/1286 रकबा 0.37 हैक्टर पर अपीलार्थीनी व खसरा नं0 1286 रकबा 0.23 हैक्टर भूमि पर प्रत्यर्थी सं0 2 खातेदारी घोषणा की जाकर अपीलार्थीनी व प्रत्यर्थी सं0 2 को खातदोर काश्तकार घोषित किये जाने की दाररसी प्राप्त करने के अधिकारीणी है तथा आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 22.1.1990 न्यायालय हाजा की राय में निरस्त किये जाने योग्य है।

11. अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

14/2015
पांचूदेवी बनाम सरकार वगैरह

राजस्व वाद संख्या 46/80 बउनवान हेमाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.1990 को अपास्त किया जाता है एवं अपीलार्थीनी को मौजा सांचौर के पुराना खसरा नंबर 291 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 3699/1286 रकबा 0.37 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार सांचौर को निर्देषित किया जाता है कि तदानुसार अपीलार्थीनी का नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 23.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील अधिकारी, पाली